# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

**अपील संख्या 12/126/2024**

**कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/229**

**प्रवेश तिथि :: 17.09.2024**

**अपीलार्थी**
श्री सन्तोष कुमार जैन,
बी–140, अशोक विहार, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर

**बनाम**

**प्रत्यर्थी**
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

## निर्णय

**दिनांकः 25.11.2024**

1. अपीलार्थी उपस्थित। प्रत्यर्थी अनुपस्थित, किन्तु जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत Online RTI Portal पर Application No. 293990820253054 **दिनांकः 10.9.2024** को प्रस्तुत कर, प्रार्थी स्वयं के प्रमोशन से संबंधित विविध 06 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर, अपीलार्थी द्वारा Online RTI Portal पर Appeal No. 293635491666127 दिनांकः 16.9.2024 प्रस्तुत कर, इस न्यायालय को **प्रथम अपील** प्रस्तुत की गई जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2026–27 दिनांकः 25.10.2024 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से **जवाब नोटिस प्राप्त** हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया व **अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत** जवाब का **परीक्षण** किया गया।
7. अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांकः 10.9.2024 के माध्यम से "स्वयं के सेवानिवृत्ति पदनाम–कार्यालय, दिनांकः 01.04.2015 से वर्षवार जिला कलक्टर अलवर कार्यालय की समस्त केडर स्ट्रेन्थ संबंधी पदों की प्रति, रिजर्व केटेगरी के कर्मचारी के सामान्य वर्ग से वरिष्ठता सूची में सीनियर होने व उसके आगामी पदों की पदोन्नति में दुबारा से जूनियर हो जाने संबंधी सर्कुलर, आदेश परिपत्र प्रति, राजस्व विभाग के विभागाध्यक्ष का नाम, जिला कलक्टर अलवर कार्यालय में पदस्थापित/कार्यरत समस्त संस्थापन अधिकारी–प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण, निलम्बन, टर्मीनेट आदि अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए जिला कलक्टर अलवर सक्षम/अधिकृत अधिकारी होने व संस्थापन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी के पदों पर दिनांकः 01.04.2015 से सूचना प्रेषण की तिथि तक पदोन्नति संबंधी सम्पूर्ण संधारित पत्रावलियों के अनुभाग यथा–स्थापन/विधि प्रकोष्ठ/लेखा प्रकोष्ठ में संचालित पत्रावली मय नोटसीट" आदि विविध 06 बिन्दुओं पर विस्तृत अभिलेखीय सूचना चाही गई जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब–पत्र सं. लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2026–27 दिनांकः 25.10.2024 के अनुसार, उनके लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर उपलब्ध/संधारित 76 पृष्ठीय बिन्दुवार सूचना से, Online RTI Portal dispatch No. 6062632121 Date: 25-10-2024 के माध्यम से बिन्दुवार संसूचित किया जा चुका है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

8. अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के जवाब पर प्रा0पत्र दिनांकः 04.11.2024 के माध्यम से **आक्षेप व्यक्त कर पूरक अपील** पेश की गई, जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को पुनः नोटिस जारी कर जवाब प्राप्त किया गया।

9. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त पूरक अपील के अनुक्रम में पत्र सं. 2149–50 दिनांकः 14.11.2024, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से सूचना आवेदन दिनांकः 10.09.2024 के बिन्दु सं.06 के परिप्रेक्ष्य में **09 पृष्ठीय अभिलेखीय दस्तावेजी सूचना** के साथ जवाब पेश किया गया व जवाब में अंकन किया है कि प्रकरण में अन्य कोई सूचना शेष व अपेक्षित नहीं है।

10. अपीलार्थी के सूचना आवेदन–प्रथम अपील–पूरक अपील व प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना/जवाब–पत्र का **परीक्षण** किया गया।

11. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन के बिन्दु सं.1,2 व 6 के परिप्रेक्ष्य में उनके क्षेत्राधीन अनुभाग स्तर पर उपलब्ध/संधारित 76 पृष्ठीय व पूरक अपील के अनुक्रम में 9 पृष्ठीय, कुल 85 पृष्ठीय अभिलेखीय सूचना से संसूचित किया जा चुका है, शेष बिन्दु सं.03 में वांछित सूचना, विशिष्टीकृत नहीं है, लोक प्राधिकारियों से स्पष्टीकरण स्वरूप वांछित सूचना है, विविध प्रश्न कर काल्पनिक/प्रश्नात्मक/सृजनात्मक/बहुआयामी/ खोजबीन कर उपलब्ध कराने स्वरूप सूचना की अपेक्षा की गई है जो कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांकः 02.02.2009 एवं परिपत्र दिनांकः 16.12.2011 एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1)(बी) व धारा 7(9) के **आलोक में देय नहीं** है, अन्य बिन्दु सं. 04 व 05 में वांछित सूचना/जानकारी, राज. सी.सी.ए. रूल्स,1958 का अपीलार्थी स्वयं अवलोकन कर/कार्मिक विभाग, राज. सरकार के स्तर पर संपर्क स्थापित कर प्राप्त कर सकता है अथवा विभागीय वेबसाईट dop.rajasthan.gov.in पर स्वयं लिंक कर प्राप्त कर सकता है।

12. तथापि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आक्षेप व प्रत्यर्थी के जवाब के परिप्रेक्ष्य में **अपील आंशिक स्वीकार** की जाकर, अपील का समाधान इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्यर्थी, उक्त निर्णय प्राप्ति के अधिकतम 15 दिवस में अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधी अभिलेखों का किसी निश्चित तिथि व समय पर अपीलार्थी को अवलोकन हेतु आमंत्रित कर, किन्हीं चिन्हित अभिलेखों की प्रमाणित प्रति अपीलार्थी को उपलब्ध करा दे।

13. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

14. आज दिनांकः 25.11.2024 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर ★ अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)
जिला कलक्टर
अलवर (राज०)